

## लोकेन्द्र सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंदौर, म0प्र0

क्रमांक. 05 / 2023

इंदौर दिनांक. 14 / 01 / 2023

### // कार्यविभाजन पत्रक संशोधित आदेश //

मैं लोकेन्द्र सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला इंदौर, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) तथा 15(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत आपराधिक कार्यों के विभाजन संबंधी पूर्व प्रसारित मूल कार्य विभाजन पत्रक क्रमांक. 50 / 2022 इंदौर दिनांक. 14.06.2022 प्रभावशील दिनांक. 15.06.2022 एवं संशोधित कार्यविभाजन पत्रक क्रमांक. 96 / 2023 इंदौर, दिनांक. 19.12.2022 में प्रशासनिक कार्य एवं सुविधा की दृष्टि से, संशोधन समाविष्ट कर, निम्नानुसार अंतर्स्थापित करता हूँ जो कि माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर के अनुमोदन पश्चात् **दिनांक 16 जनवरी 2023** से तत्काल प्रभावशील माना जावेगा :—

क्र.	नाम	आवंटित आरक्षी केंद्र	कार्य का विभाजन
01.	श्री लोकेन्द्र सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंदौर, म.प्र. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड}	1. तुकोगंज 2. लसुडिया	<p>1. आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण । (परिवाद प्रकरण, धारा 156 (3) द.प्र.सं. के आवेदन पत्र, महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण / परिवाद पत्र एवं धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>2. आरक्षी केन्द्र यातायात एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर.टी.ओ.) इन्दौर की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण ।</p> <p>3. इंदौर तहसील सीमा क्षेत्र के आबकारी वृत्त बंबई बाजार, आंतरिक क्षेत्र क्रमांक 01, भोई मोहल्ला, छावनी एवं पलासिया द्वारा प्रस्तुत होने वाले धारा 34 (1) म.प्र. आबकारी अधिनियम के प्रकरण एवं आवंटित आरक्षी केंद्र के म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र ।</p> <p>4. इन्दौर जिले की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण :— एः— कारखाना अधिनियम 1948 बीः— श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय) एवं राज्य के श्रम निरीक्षकों/प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत श्रम अधिनियमों के आपराधिक प्रकरण । सीः— भारतीय मानक व्यूरो ।</p> <p>5. इंदौर जिला क्षेत्र के मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम 2017 के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियां ।</p> <p>6. इनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (प्रतिबंध) अधिनियम 1978</p> <p>7. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की अधिसूचना अनुसार स्पेशल टाईगर स्ट्राईक फोर्स यूनिट संबंधी समस्त प्रकरण ।</p> <p>8. माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. के नोटिफिकेशन क्रमांक.</p>

			<p>A/1816/ (STF)III-6-5/14 जबलपुर दिनांक.14.04.22 अनुसार—The Trial cases Relating to offences investigated by the Special Task Force Bhopal.</p> <p><b>9.</b> संपूर्ण इंदौर जिला में सरफेसी एकट से उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग पत्र।</p> <p><b>10.</b> संपूर्ण इंदौर जिला में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रैट के न्यायालय में चल रहे प्रकरणों से संबंधित धारा 410 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।</p> <p><b>11.</b> ऐसे अन्य अधिनियम जिनमें विचारण का क्षेत्राधिकार केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट को है एवं अन्य किसी विधि से संबंधित अपराध जो किसी के प्रभार में नहीं हो।</p>
02.	श्रीमती मीनाक्षी शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेटी इंदौर, (महिला न्यायालय) (द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड)	1. महिला थाना	<p><b>नोट :—</b> पूर्व प्रसारित कार्यविभाजन पत्रक क्रमांक. 50 / 2022 इंदौर दिनांक. 14.06.2022 अनुसार यथावत ।</p>
03.	श्री सुरेश यादव न्यायिक मजिस्ट्रेटी इंदौर, (तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड)	1. आजाद नगर 2. साइबर सेल एवं उच्च तकनीकी अपराध पुलिस इकाई इंदौर	<p><b>नोट :—</b> पूर्व प्रसारित कार्यविभाजन पत्रक क्रमांक. 50 / 2022 इंदौर दिनांक. 14.06.2022 अनुसार यथावत ।</p>
04.	श्री परमानंद चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेटी इंदौर, (चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड)	<p>आवंटित आरक्षी केन्द्र .....</p> <p>1. विजयनगर</p>	<p><b>1.</b> आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, आवेदनपत्र व धारा 138 एन.आई. एकट के प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण, परिवाद पत्र, आवेदनपत्र को छोड़कर)</p> <p><b>2.</b> आवंटित आरक्षी केंद्र के म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र।</p> <p><b>3.</b> आरक्षी केंद्र आबकारी इंदौर के वृत्त मालवा मील 'अ' एवं 'ब' द्वारा प्रस्तुत होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत अभियोग पत्र/परिवाद पत्र।</p> <p><b>4.</b> तहसील इंदौर की सीमा क्षेत्र से उद्भूत विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के समस्त आपराधिक प्रकरण चाहे वे पुलिस अंतिम प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत हो या परिवाद के।</p> <p><b>5.</b> कर्मचारी राज्य बीमा निगम व भविष्य निधि के समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p><b>6.</b> आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जन्म मृत्यु रजि.एकट 1969 की धारा 13(3) के आवेदन।</p> <p><b>7.</b> आरक्षी केंद्र तुकोगंज एवं लसुडिया की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले भा.दं.वि. एवं अन्य अधिनियम के आपराधिक परिवाद पत्र।</p>
05.	श्री शाशांक खरे न्यायिक मजिस्ट्रेटी इंदौर, (पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड)	<p>आवंटित आरक्षी केन्द्र .....</p> <p>1. पलासिया</p>	<p><b>1.</b> आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, आवेदनपत्र व धारा 138 एन.आई. एकट के प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण, परिवाद पत्र, आवेदनपत्र को छोड़कर)</p>

			<p><b>2.</b> आवंटित आरक्षी केंद्र के म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र।</p> <p><b>3.</b> आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जन्म मृत्यु रजि.एकट 1969 की धारा 13(3) के आवेदन।</p> <p><b>4.</b> आरक्षी केंद्र आबकारी इंदौर के वृत्त राज मोहल्ला, आंतरिक क्षेत्र क्षमांक 02 द्वारा प्रस्तुत होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अभियोग पत्र / परिवाद पत्र।</p>
06.	श्री फिरोज अख्तर न्यायिक मजि.प्र.श्रेणी इंदौर, (रिल्वे न्यायालय) ( षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड)	आवंटित आरक्षी केन्द्र ..... 1. आर.पी.एफ 2. जी.आर.पी. 3. छोटी ग्वालटोली	<b>नोट :-</b> पूर्व प्रसारित कार्यविभाजन पत्रक क्षमांक. 50 / 2022 इंदौर दिनांक. 14.06.2022 अनुसार यथावत ।
07.	श्री सतीश वसुनिया न्यायिक मजि.प्र.श्रेणी इंदौर, (ग्राम न्यायालय) ( अष्टम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड)	आवंटित आरक्षी केन्द्र ..... 1. कनाडिया 2. राज	<p><b>1.</b> आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, आवेदनपत्र। (महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण, परिवाद पत्र एवं धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण को छोड़कर)</p> <p><b>2.</b> आवंटित आरक्षी केंद्र के म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र।</p> <p><b>3.</b> आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जन्म मृत्यु रजि.एकट 1969 की धारा 13(3) के आवेदन।</p> <p><b>4.</b> माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. के मेमोरेंडम कं. B/994767 II-15-18/01(Amendment) Jabalpur Date 12 August 2021 के पालन में ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।</p>
08.	श्री दिलीप सिंह परमार न्यायिक मजि.प्र.श्रेणी इंदौर, ( दशम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड)	आवंटित आरक्षी केन्द्र ..... 1. चंदन नगर	<b>नोट :-</b> पूर्व प्रसारित कार्यविभाजन पत्रक क्षमांक. 50 / 2022 इंदौर दिनांक. 14.06.2022 अनुसार आबकारी वृत्त छावनी 34 (1) को छोड़कर यथावत। —अनसार पूर्व आवंटित कार्य के साथ—साथ आरक्षी केन्द्र लसुडिया से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के परिवाद।
09.	श्री प्रीतम बंसल न्यायिक मजि.प्र.श्रेणी इंदौर, ( ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड)	आवंटित आरक्षी केन्द्र ..... 1. भंवरकुओं	<p><b>1.</b> आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण, परिवादपत्र, आवेदनपत्र, धारा 138 एन.आई. एकट के प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण, परिवाद पत्र को छोड़कर)</p> <p><b>2.</b> आवंटित आरक्षी केंद्र के म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र।</p> <p><b>3.</b> इंदौर तहसील के समस्त आबकारी वृत्त द्वारा प्रस्तुत होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के प्रकरण।</p> <p><b>4.</b> समस्त तहसील को छोड़कर इन्दौर जिले की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण। (ए) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974. (बी) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (सी) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981.</p>

			<p><b>5.</b> तहसील इंदौर के सीमा क्षेत्र से उद्भूत भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 एवं अन्य विधियां के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण चाहे वे पुलिस अंतिम प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत हो या परिवादपत्र।</p> <p><b>6.</b> आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जन्म मृत्यु रजि.एकट 1969 की धारा 13(3) के आवेदन।</p>
<b>10.</b>	श्रीमती नेहा बंसल प्रिंसिपल मजि.प्र.श्रेणी इंदौर, (किशोर न्याय बोर्ड) ( बारहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड)	<b>किशोर न्याय बोर्ड</b>	<p><b>नोट :-</b> पूर्व प्रसारित कार्यविभाजन पत्रक क्रमांक. 50 / 2022 इंदौर दिनांक. 14.06.2022 अनुसार यथावत ।</p>
<b>11.</b>	श्री शरद जोशी न्यायिक मजि.प्र.श्रेणी इंदौर, (सी.बी.आई न्यायालय) ( चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड)	<b>आवंटित आरक्षी केन्द्र</b> .....  <b>1. बाणगंगा</b>	<p><b>1.</b> आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र व धारा 138 एन.आई. एकट के प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण, परिवाद पत्र, आवेदनपत्र को छोड़कर)</p> <p><b>2.</b> संबंधित आरक्षी केंद्र के म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र।</p> <p><b>3.</b> आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जन्म मृत्यु रजि.एकट 1969की धारा 13(3) के आवेदन।</p> <p><b>4.</b> माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. के नोटिफिकेशन अनुसार <b>VYAPAM</b> से संबंधित मामले।</p> <p><b>5.</b> माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर (म.प्र.) की अधिसूचना अनुसार ऐसे अपराध जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण द्वारा किया गया हो, के प्रकरण (सी.बी.आई मामलों के लिए विशेष रूप से)</p> <p><b>6.</b> आरक्षी केंद्र आबकारी इंदौर के वृत्त बाल्दा कालोनी द्वारा प्रस्तुत होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अभियोग पत्र/परिवाद पत्र।</p>
<b>12.</b>	श्री अरविंद गुर्जर न्यायिक मजि.प्र.श्रेणी इंदौर, (नगर निगम न्यायालय) ( अठारहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड)	<b>आवंटित आरक्षी केन्द्र</b> .....  <b>1. सेन्द्रल कोतवाली</b> <b>2. द्वारकापुरी</b>	<p><b>नोट :-</b> पूर्व प्रसारित कार्यविभाजन पत्रक क्रमांक. 50 / 2022 इंदौर दिनांक. 14.06.2022 अनुसार यथावत ।</p>
<b>13.</b>	श्रीमती शिखा लोकेश दूबे न्यायिक मजि.प्र. श्रेणी इंदौर, ( प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड)	<b>आवंटित आरक्षी केन्द्र</b> .....  <b>1. एम.जी. रोड</b>	<p><b>1.</b> आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, आवेदनपत्र, धारा 138 एन.आई. एकट के प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण, परिवाद पत्र, आवेदनपत्र को छोड़कर)</p> <p><b>2.</b> संबंधित आरक्षी केंद्र के म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र।</p> <p><b>3.</b> आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जन्म मृत्यु रजि.एकट 1969की धारा 13(3) के आवेदन।</p> <p><b>4.</b> आरक्षीकेंद्र छोटी ग्वालटोली, संयोगितागंज, आजाद नगर, खजराना एवं कनाडिया, की सीमा क्षेत्र से उद्भूत उरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद व आवेदन पत्र एवं उत्पन्न विभिन्न</p>

			कार्यवाहीयां धारा 125 एवं 127 दंड प्रक्रिया संहिता के समस्त प्रकरण उन प्रकरणों को छोड़कर जो कुटुंब न्यायालय इंदौर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।
14.	श्री प्रत्युष चतुर्वेदी न्यायिक मजिस्ट्रेटी इंदौर, ( प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड)	आवंटित आरक्षी केन्द्र .....  1. गोधीनगर, 2. तिलकनगर, 3. सराफा	1. आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र व धारा 138 एन.आई. एकट के प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण, परिवाद पत्र, आवेदनपत्र को छोड़कर)  2. संबंधित आरक्षी केंद्र के म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र।  3. आवंटित आरक्षी केंद्र एवं आरक्षी केंद्र लसुडिया की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जन्म मृत्यु रजि.एकट 1969की धारा 13(3) के आवेदन।
15.	सु.श्री पारुल चौकसे न्यायिक मजिस्ट्रेटी इंदौर, ( प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड)	आवंटित आरक्षी केन्द्र .....  1. एम.आई.जी. 2. जूनी इंदौर,	1. आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र व धारा 138 एन.आई. एकट के प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण, परिवाद पत्र को छोड़कर)  2. संबंधित आरक्षी केंद्र के म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र।  3. आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जन्म मृत्यु रजि.एकट 1969की धारा 13(3) के आवेदन।  4. आरक्षी केंद्र हीरा नगर, एम.आई.जी. बाणगंगा एवं विजय नगर की सीमा क्षेत्र से उद्भूत घरेलू हिस्सा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद व आवेदन पत्र एवं उत्पन्न विभिन्न कार्यवाहीयां धारा 125 एवं 127 दंड प्रक्रिया संहिता के समस्त प्रकरण उन प्रकरणों को छोड़कर जो कुटुंब न्यायालय इंदौर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।
16.	श्री रावेन्द्र कुमार सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेटी इंदौर, ( पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड)	आवंटित आरक्षी केन्द्र .....  1. एरोडम  2. सी.आई.डी. एवं अपराध शाखा (काईम ब्रांच)	1. आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र व धारा 138 एन.आई. एकट के प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण, परिवाद पत्र को छोड़कर)  2. संबंधित आरक्षी केंद्र के म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र।  3. आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जन्म मृत्यु रजि.एकट 1969की धारा 13(3) के आवेदन।  4. आरक्षी केंद्र छोटी ग्वालटोली से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के समस्त आपराधिक परिवाद पत्र।
17.	सु.श्री तारा मार्को न्यायिक मजिस्ट्रेटी इंदौर, ( षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड)	आवंटित आरक्षी केन्द्र .....  1. संयोगितागंज 2. अन्नपूर्णा	1. आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, आवेदनपत्र व धारा 138 एन.आई. एकट के प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण, परिवाद पत्र, आवेदनपत्र को छोड़कर)  2. संबंधित आरक्षी केंद्र के म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र।  3. आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने

			वाले जन्म मृत्यु रजि.एकट 1969की धारा 13(3) के आवेदन।
			<p><b>4.</b> आरक्षी केंद्र गांधी नगर पश्चिम की सीमा, सेंट्रल कोतलवाली, एम जी रोड, तुकोगंज एवं पलासिया की सीमा क्षेत्र से उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद व आवेदन पत्र एवं उत्पन्न विभिन्न कार्यवाहीयां धारा 125 एवं 127 दंड प्रक्रिया संहिता के समस्त प्रकरण उन प्रकरणों को छोड़कर जो कुटुंब न्यायालय इंदौर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।</p>
18.	सु.श्री ऋचा बठेजा न्यायिक मजि.प्र.श्रेणी इंदौर, ( सप्तम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड)	आवंटित आरक्षी केन्द्र .....  1. हीरानगर	<p><b>1.</b> आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र व धारा 138 एन.आई. एकट के प्रकरण सहित।</p> <p><b>2.</b> माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की अधिसूचना अनुसार <b>Virtual Court</b> संबंधी प्रकरण।</p> <p><b>3.</b> संबंधित आरक्षी केंद्र के म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र।</p> <p><b>4.</b> आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जन्म मृत्यु रजि.एकट 1969की धारा 13(3) के आवेदन।</p> <p><b>5.</b> आरक्षी केंद्र पंढरीनाथ, छत्रीपुरा, जूनी इंदौर, रावजी बाजार, एवं भवंरकुआ की सीमा क्षेत्र से उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद व आवेदन पत्र एवं उत्पन्न विभिन्न कार्यवाहीयां, धारा 125 एवं 127 दंड प्रक्रिया संहिता के समस्त प्रकरण उन प्रकरणों को छोड़कर जो कुटुंब न्यायालय इंदौर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।</p>
19.	श्रीमती जयश्री आर्ययान मेरहा न्यायिक मजि.प्र. श्रेणी इंदौर, ( नवम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड)	आवंटित आरक्षी केन्द्र .....  1. तेजाजी नगर 2. राजेन्द्र नगर	<p><b>1.</b> आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, आवेदनपत्र व धारा 138 एन.आई. एकट के प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण, परिवाद पत्र को छोड़कर)</p> <p><b>2.</b> संबंधित आरक्षी केंद्र के म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र।</p> <p><b>3.</b> आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जन्म मृत्यु रजि.एकट 1969की धारा 13(3) के आवेदन।</p> <p><b>4.</b> आरक्षी केंद्र हरिजन कल्याण, खुड़ैल एवं तिलक नगर की सीमा क्षेत्र से उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत परिवादपत्र व आवेदन पत्र एवं उत्पन्न विभिन्न कार्यवाहीयां धारा 125 एवं 127 दंड प्रक्रिया संहिता के समस्त प्रकरण उन प्रकरणों को छोड़कर जो कुटुंब न्यायालय इंदौर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।</p>
20.	सु.श्री पूजा अहिरवार न्यायिक मजि.प्र.श्रेणी इंदौर, ( नवम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड)	आवंटित आरक्षी केन्द्र .....  1. मल्हारगंज 2. सदर बाजार	<p><b>1</b> आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र व धारा 138 एन.आई. एकट के प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण, परिवाद पत्र, आवेदनपत्र को छोड़कर)</p> <p><b>2.</b> आवंटित आरक्षी केंद्र के म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र।</p>

			<p>3. आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जन्म मृत्यु रजि.एक्ट 1969की धारा 13(3) के आवेदन।</p> <p>4. आरक्षी केंद्र राज से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के समस्त आपराधिक परिवाद पत्र।</p> <p>5. आरक्षी केंद्र राजेंद्र नगर, तेजाजी नगर, द्वारकापुरी, एवं राज की सीमा क्षेत्र से उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद व आवेदन पत्र एवं उत्पन्न विभिन्न कार्यवाहीयां, धारा 125 एवं 127 दंड प्रक्रिया संहिता के समस्त प्रकरण उन प्रकरणों को छोड़कर जो कुटुंब न्यायालय इंदौर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।</p>
21.	श्री यश कुमार सिंह न्यायिक मजि.प्र.श्रेणी इंदौर, ( ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड)	आवंटित आरक्षी केन्द्र ..... 1. खजराना 2.रावजी बाजार	<p>1. आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र एवं धारा 138 एन.आई. एक्ट के प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण, परिवाद पत्र, आवेदनपत्र को छोड़कर)</p> <p>2. संबंधित आरक्षी केंद्र के म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र।</p> <p>3. आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जन्म मृत्यु रजि.एक्ट 1969की धारा 13(3) के आवेदन।</p> <p>4. आरक्षी केंद्र कनाडिया से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण।</p>
22.	सु.श्री अंकिता त्रिपाठी न्यायिक मजि.प्र.श्रेणी इंदौर, ( बारहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड)	आवंटित आरक्षी केन्द्र ..... 1. परदेशीपुरा	नोट :- पूर्व प्रसारित कार्यविभाजन पत्रक क्रमांक. 50 / 2022 इंदौर दिनांक. 14.06.2022 अनुसार यथावत ।
23.	सु.श्री सुरभि सिंह सुमन न्यायिक मजि.प्र.श्रेणी इंदौर, (महिला न्यायालय) ( तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड)	आवंटित आरक्षी केन्द्र ..... 1. पंढरीनाथ	<p>1. आरक्षी केंद्र, सेंट्रल कोतवाली, एम.जी. रोड, तुकोगंज, संयोगितागंज, पलासिया, छोटी ग्वालटोली, हीरा नगर, बाणगंगा, जूनी इंदौर, रावजी बाजार, भंवरकुओं, अन्नपूर्णा, चंदन नगर, द्वारकापुरी, सराफा, पंढरीनाथ, छत्रीपुरा, खुडैल, सायबर सेल से उद्भूत भा.दं.सं. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354-क, 366, 366-ए, 366-बी, 376-ए से 376-डी, 493, 498, 498-ए, एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम सन 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती निवारण अधिनियम 1957 अभियोगपत्र, खात्मा प्रकरण एवं अन्य समस्त परिवाद जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं।</p> <p>3. आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जन्म मृत्यु रजि.एक्ट 1969की धारा 13(3) के आवेदन।</p> <p>4. आरक्षी केंद्र परदेशीपुरा, लसूडिया, एवं महिला थाना की सीमा क्षेत्र से उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद व आवेदन पत्र एवं उत्पन्न विभिन्न कार्यवाहीयां धारा 125 एवं 127 दंड प्रक्रिया संहिता के समस्त प्रकरण उन प्रकरणों को छोड़कर जो कुटुंब न्यायालय इंदौर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।</p>

<b>24.</b> सु.श्री स्वाति कौशल न्यायिक मजि.प्र.श्रेणी इंदौर, म0प्र0 ( पन्द्रहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड)	<b>आवंटित आरक्षी केन्द्र</b> ..... 1. खुड़ैल 2. छत्रीपुरा 3. भिक्षुक	1. आवंटित आरक्षी केन्द्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र आवेदन पत्र, व धारा 138 एन.आई. एक्ट के प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण, परिवाद पत्र को छोड़कर)  2. संबंधित आरक्षी केन्द्र के म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र।  3. आवंटित आरक्षी केन्द्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जन्म मृत्यु रजि.एक्ट 1969की धारा 13(3) के आवेदन।  4. आरक्षी केन्द्र चंदन नगर, अन्नपूर्णा की सीमा क्षेत्र से उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद व आवेदन पत्र एवं उत्पन्न विभिन्न कार्यवाहीयां धारा 125 एवं 127 दंड प्रक्रिया संहिता के समस्त प्रकरण उन प्रकरणों को छोड़कर जो कुटुंब न्यायालय इंदौर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।
---	--	---

**नोट :-** शेष ब्राह्यवर्ती समस्त तहसील मुख्यालय हेतु पूर्व प्रसारित कार्यविभाजन पत्रक क्रमांक. 50 / 2022 इंदौर दिनांक. 14.06.2022 प्रभावशील दिनांक. 15.06.2022 एवं संशोधित आदेश क्रमांक. 96 / 2022 इंदौर दिनांक. 19.12.2022 अनुसार यथावत् रहेगा ।

### // संशोधित प्रभार अनुसूची क्रमांक.01 //

क्र.	नाम न्यायिक मजिस्ट्रेट	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी
01.	श्री सुरेश यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर	सु.श्री सुरभि सिंह सुमन	श्री शशांक खरे	श्री अरविंद गुर्जर
02.	श्री सतीश वसुनिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर (जिला रजिस्ट्रार)	श्री प्रीतम बंसल	श्रीमती मीनाक्षी शर्मा	श्री सुरेश यादव
03.	श्री फिरोज अख्तर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर (रिल्वे कोटी)	श्री यश कुमार सिंह	श्री परमानंद चौहान	श्री शरद जोशी

### तहसील हातोद श्रृंखला न्यायालय के प्रभार के संबंध में :-

#### **नोट :-**

- 01.** तहसील मुख्यालय हातोद में पदस्थ पीठासीन अधिकारी श्रीमती रशिम मण्डलोई के सी.सी.एल. के लंबे अवकाश पर होने से माननीय उच्च न्यायालय के यथानिर्देशानुसार 10 दिवस बैठक हेतु श्रृंखला न्यायालय श्री शशांक खरे न्यायिक मजि.प्र.श्रेणी इंदौर हेतु की गयी है ।
- 02.** तहसील हातोद में श्रृंखला न्यायालय अवधि को छोड़कर शेष दिवस हेतु प्रथम प्रभार श्री शशांक खरे न्यायिक मजि.प्र.श्रेणी इंदौर का एवं तत्पश्चात् द्वितीय एवं तृतीय प्रभार पूर्व प्रसारित कार्यविभाजन पत्रक प्रभार अनुसूची क्रमांक.01 अनुसार रहेगा तथा श्रृंखला न्यायालय होने एवं उक्त दिवस में पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने से प्रभार पूर्व अनुसूची अनुसार यथावत् माना जावेगा ।

### // संशोधित अनुसूची क्रमांक.02 //

**नोट-01** महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित धारा 164 द.प्र.स. के कथन अंकित किये जाने हेतु निम्नांकित महिला न्यायिक मजिस्ट्रेटगण को प्रशासनिक कार्य एवं सुविधा की दृष्टि से, दर्शित आरक्षी केन्द्र के अनुसार कथन लिये जाने हेतु कार्यभार सौपा जाता है :-

क्र.	आरक्षी केन्द्र	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
------	----------------	--------------	----------------	--------------

1.	छोटी ग्वालटोली, सेंट्रल कोतवाली एवं पंढरीनाथ	श्रीमती शिखा लोकेश दुबे	सुश्री पारूल चौकसे	सुश्री अंकिता त्रिपाठी
2	सराफा, तुकोगंज, एरोड़म, विजयनगर, रावजीबाजार ।	श्रीमती जयश्री आर्ययान मेहरा	सुश्री पारूल चौकसे	सुश्री पूजा अहिरवार
3	अ.जा.क. सी.बी.आई, अपराध शाखा, जी.आर.पी., सी.आर.पी.एफ व भिक्षुक ।	श्रीमती मीनाक्षी शर्मा	सुश्री सुरभि सिंह सुमन	सुश्री ऋचा बठेजा
4	कनाडिया, राजेन्द्र नगर सदर बाजार, व राउ, तेजाजीनगर	सुश्री अंकिता त्रिपाठी	सुश्री तारा मार्को	श्रीमती पारूल चौकसे
5	बाणगंगा, परदेशीपुरा, तिलकनगर,	सुश्री पूजा अहिरवार	सुश्री पारूल चौकसे	सुश्री तारा मार्को
6	गॉधीनगर, भैवरकुआ, चंदननगर, खुडैल, हीरानगर,	सुश्री तारा मार्को	सुश्री पूजा अहिरवार	सुश्री पारूल चौकसे
7	द्वारकापुरी, आजाद नगर छत्रीपुरा मल्हारगंज, जूनीइंदौर, एम.आई.जी.	सुश्री ऋचा बठेजा	सुश्री अंकिता त्रिपाठी	सुश्री जय श्री आर्ययान
8	पलासिया, खजराना, एम.जी.रोड अन्नपूर्णा	सुश्री स्वाति कौशल	सुश्री पूजा अहिरवार	सुश्री ऋचा बठेजा
9	महिला थाना, लसुडिया, संयोगितागंज, सायबर सेल एवं उच्च तकनीकी अपराध पुलिस इंदौर इकाई से संबंधित, एवं एस.टी.एफ इकाई इंदौर, एवं इंदौर जिले से बाहर जिले के अपराध में आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर व मुख्य न्यायिक मजि. इंदौर द्वारा पृष्ठांकित किये जाने पर एवं अन्य कोई जो उपरोक्त अनुसूची में उल्लेखित नहीं है ।	सुश्री पारूल चौकसे	श्रीमती शिखा लोकेश दुबे	श्रीमती जयश्री आर्ययान मेहर

**नोट-02 (महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित मामलों को छोड़कर )** शेष अपराधों के संबंध में धारा 164 द.प्र.स. के कथन अंकित किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यभार सौपा जाता है :-

क्र.	आरक्षी केंद्र	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1.	एम.जी.रोड, अन्नपूर्णा, कनाडिया, विजय नगर, सराफा,	श्री शशांक खरे	श्री अरविंद गुर्जर	श्री यश कुमार
2	सेन्ट्रल कोतवाली, द्वारकापुरी, अ.जा.क, भिक्षुक,	श्री परमानंद चौहान	श्री दिलीप सिंह परमार	श्री प्रत्यूष चतुर्वेदी
3	जी.आर.पी, आर.पी.एफ, भैवरकुआ, तिलकनगर, हीरा नगर	श्री दिलीप सिंह परमार	श्री प्रत्यूष चतुर्वेदी	श्री परमानंद चौहान
4	बाणगंगा, आजाद नगर, चंदननगर, जूनी इंदौर,	श्री प्रीतम बंसल	श्री अरविंद गुर्जर	श्री शशांक खरे
5	सदर बाजार, परदेशीपुरा, अपराध शाखा, सी.बी.आई,	श्री सुरेश यादव	श्री प्रीतम बंसल	श्री अरविंद गुर्जर
6	राउ, तुकोगंज, पलासिया, एम.आई.जी.	श्री अरविंद गुर्जर	श्री यश कुमार सिंह	श्री शरद जोशी
7	खुडैल, तेजाजीनगर, पढ़रीनाथ,	श्री यश कुमार सिंह	श्री परमानंद चौहान	श्री अरविंद गुर्जर
8	छोटी ग्वालटोली, खजराना, एवं गॉधीनगर	श्री रावेंद्र कुमार सोनी	श्री यश कुमार	श्री प्रत्यूष चतुर्वेदी
9	रावजी बाजार, छत्रीपुरा, संयोगितागंज, राजेंद्र नगर, एरोड़म एवं अन्य जो उपरोक्त सूची में उल्लेखित नहीं है ।	श्री प्रत्यूष चतुर्वेदी	श्री दिलीप सिंह परमार	श्री परमानंद चौहान
10.	लसुडिया, मल्हारगंज, सायबर सेल एवं उच्च तकनीकी अपराध पुलिस इंदौर इकाई से	श्री शरद जोशी	श्री परमानंद चौहान	श्री अरविंद गुर्जर

<p>संबंधित एवं एस.टी.एफ इकाई इंदौर, लोकायुक्त से संबंधित प्रकरण एवं इंदौर जिले से बाहर जिले के अपराध में आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर व मुख्य न्यायिक मजि. इंदौर द्वारा पृष्ठांकित किये जाने पर</p>		
--	--	--

**नोट:-** धारा 164 द0प्र0स0 के अंतर्गत कथन प्रसारित अनुसुची क्रमांक.02 अनुसार लेखबद्ध किये जावेंगे। यदि संबंधित आरक्षी केन्द्र किसी प्रभारी को आवंटित किया गया है उक्त कारण से कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु असमर्थ है तब ऐसी दशा में कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु प्रभार द्वितीय, तृतीय एवं उपरोक्तानुसार धारा 164 दप्रस के तहत कथन लिपिबद्ध करने हेतु यदि तृतीय प्रभारी भी उपलब्ध नहीं है, तो आगे का प्रभार (**संबंधित आरक्षी केन्द्र के प्रभारी न्यायालय को छोड़कर**) अनुसुची क्र.01 प्रभार अनुसुची अनुसार महिला न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के समक्ष कथन अंकित कराये जा सकेंगे।

### //विविध नोट//

**01.** तात्कालिक अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजि./न्यायिक मजिस्ट्रेट/पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी स्थायी गिर0 वांट या समर्पण संबंधी आवेदन पत्र उन न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे जिनके समक्ष वर्तमान में संबंधित आरक्षी केन्द्र आवंटित किया गया है । {धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम, भा.द.वि. एवं अन्य विधिनुसार आवंटित आरक्षी केन्द्र } यदि जारी स्थाई गिर. वांट से संबंधित आरक्षी केन्द्र की स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है या एस.पी. या अन्य माध्यम से तामिली हेतु भेजा गया है, तो ऐसी दशा में भा.द.वि. एवं अन्य अधिनियम से संबंधित जारी वांट में कार्यवाही **श्री प्रीतम बंसल** एवं धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित जारी वांट में कार्यवाही **श्री दिलीप परमार** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर द्वारा विधिवत् संपादित कि जावेगी । यदि पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ है, तब निष्पादन योग्य कार्यवाही उसी न्यायालय के द्वारा कि जावेगी तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी स्थाई गिर0 वांट/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित जारी स्थाई गिर0 वांट से संबंधित कार्यवाहियों **श्री सुरेश यादव** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर द्वारा संपादित की जावेगी ।

**02.** तात्कालिक अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजि./न्यायिक मजिस्ट्रेट/पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित निर्णय आदेश के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय/अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय से प्राप्त आपराधिक रिकार्ड, रिमाण्ड प्रकरण या आदेश जो तात्कालिक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट/पूर्व पीठासीन अधिकारी के न्यायालय से संबंधित है उनमें माननीय उच्च न्यायालय/अपील/पुनरीक्षण न्यायालय के निर्णय/आदेश का परिपालन या निष्पादन योग्य कार्यवाहियों तथा उन प्रकरणों में राशि की वापसी, प्रतिकर की राशि प्रदान करने, जमानत राशि प्रदान करने, जमानत निरस्त करने एवं अन्य विविध समस्त कार्यवाहीयों उन मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत् संपादित कि जावेगी जिन मजिस्ट्रेट की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत वह आरक्षी केन्द्र आता है । यदि पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ है, तब निष्पादन योग्य कार्यवाही उसी न्यायालय के द्वारा कि जावेगी यदि प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निराकृत/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से संबंधित आरक्षी केन्द्र अंतर्गत आता है तब उपरोक्तानुसार कार्यवाही **सु.श्री पार्ल चौकसे** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर द्वारा विधिवत् संपादित की जावेगी ।

**03.** तात्कालिक अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजि./न्यायिक मजिस्ट्रेट/पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निराकृत प्रकरण में अपील/पुनरीक्षण/रिवीजन के परिपालन में निष्पादन योग्य कार्यवाहियों, जिसमें आरक्षी केन्द्र स्पष्ट नहीं हो रहा है, **सु.श्री शिखा लोकेश दूबे** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर द्वारा विधिवत् संपादित की जावेगी ।

**04.** शेष पूर्व प्रसारित कार्यविभाजन पत्रक क्रमांक. 50/2022 इंदौर दिनांक. 14.06.2023 एवं संशोधित कार्यविभाजन पत्रक क्रमांक. 96/2022 इंदौर दिनांक. 19.12.2023 अनुसार यथावत् माना जावेगा ।

### **अनुमोदन**

<p style="text-align: center;"><b>[सुबोध कुमार जैन]</b> प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदौर, म0प्र0</p>	<p style="text-align: center;">(लोकेन्द्र सिंह) <b>मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट</b> इंदौर, म0प्र0</p>
--	---

# लोकेन्द्र सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंदौर, म0प्र0

क्रमांक. 0 / 2023

इंदौर दिनांक. / 02 / 2023

## // कार्यविभाजन पत्रक संशोधित आदेश //

मैं लोकेन्द्र सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला इंदौर, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) तथा 15(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत् आपराधिक कार्यों के विभाजन संबंधी पूर्व प्रसारित मूल कार्य विभाजन पत्रक क्रमांक. 50 / 2022 इंदौर दिनांक. 14.06.2022 प्रभावशील दिनांक. 15.06.2022 एवं संशोधित कार्यविभाजन पत्रक क्रमांक. 05 / 2023 इंदौर दिनांक. 14.01.2023 में प्रशासनिक कार्य एवं सुविधा की दृष्टि से, संशोधन समाविष्ट कर, निम्नानुसार अंतर्स्थापित करता हूँ जो कि माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर के अनुमोदन पश्चात् **दिनांक. / 02 / 2023** से तत्काल प्रभावशील माना जावेगा :—

क्र.	नाम	आवंटित आरक्षी केंद्र	कार्य का विभाजन
01.	श्री लोकेन्द्र सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंदौर, म.प्र. (प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड)}	पूर्वअनुसार यथावत	<p>1. पूर्व आवंटित कार्य के साथ—साथ तहसील सीमा क्षेत्र के आबकारी वृत्त राजमोहल्ला द्वारा प्रस्तुत होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) के अभियोग पत्र/परिवाद पत्र।</p>
02.	श्री सतीश वसुनिया न्यायिक मजिस्ट्रेट इंदौर, म.प्र. (ग्राम न्यायालय) (अष्टम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड)	1. बाणगंगा 2. कनाडिया	<p>1. आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, आवेदनपत्र। (महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण, परिवाद पत्र एवं धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के प्रकरण को छोड़कर)</p> <p>2. आवंटित आरक्षी केंद्र के म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र।</p> <p>3. आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जन्म मृत्यु रजि.एक्ट 1969की धारा 13(3) के आवेदन।</p> <p>4. [माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. के मेमोरेंडम कं. B/994767 II-15-18/01(Amendment) Jabalpur Date 12 August 2021के पालन में ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।</p>
03.	श्री शरद जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट (सी.बी.आई न्यायालय) ( चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड)	आवंटित आरक्षी केन्द्र .....  1. राज 2. अन्नपूर्णा	<p>1. आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र व धारा 138 एन.आई. एक्ट के प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण, परिवाद पत्र, आवेदनपत्र को छोड़कर)</p> <p>2. संबंधित आरक्षी केंद्र के म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र।</p> <p>3. आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जन्म मृत्यु रजि.एक्ट 1969की धारा 13(3) के आवेदन।</p> <p>4. माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. के नोटिफिकेशन अनुसार <b>VYAPAM</b> से संबंधित मामले।</p> <p>5. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर (म.प्र.) की अधिसूचना अनुसार ऐसे अपराध जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्युरो द्वारा किया गया हो, के प्रकरण (सी.बी.आई मामलों के लिए विशेष रूप से)</p>

			<p><b>6.</b> आरक्षी केंद्र आबकारी इंदौर के वृत्त बाल्दा कालोनी द्वारा प्रस्तुत होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अभियोग पत्र/परिवाद पत्र।</p> <p><b>7.</b> समय—समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
04.	सु.श्री पूजा अहिरवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्र. श्रेणी इंदौर, (नवम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड)	आवंटित आरक्षी केन्द्र .....  1. मल्हारगंज 2. सदर बाजार	<p><b>1.</b> आरक्षी केंद्र बाणगंगा से उद्भूत धारा 138 परकाम्प्य लिखत अधिनियम के समस्त आपराधिक परिवाद पत्र।</p> <p><b>2.</b> शेष यथावत पूर्व प्रसारित कार्यविभाजन पत्रक अनुसार।</p>
05.	सु.श्री तारा मार्को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्र. श्रेणी इंदौर, (षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड)	आवंटित आरक्षी केन्द्र .....  1. संयोगितागंज	<p><b>1.</b> आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, आवेदनपत्र व धारा 138 एन.आई. एकट के प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण, परिवाद पत्र, आवेदनपत्र को छोड़कर)</p> <p><b>2.</b> संबंधित आरक्षी केंद्र के म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र।</p> <p><b>3.</b> आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जन्म मृत्यु रजि.एकट 1969की धारा 13(3) के आवेदन।</p> <p><b>4.</b> आरक्षी केंद्र गांधी नगर पश्चिम की सीमा, सेंट्रल कोतलवाली, एम जी रोड, तुकोगंज एवं पलासिया की सीमा क्षेत्र से उद्भूत घरेलू हिसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद व आवेदन पत्र एवं उत्पन्न विभिन्न कार्यवाहीयां धारा 125 एवं 127 दंड प्रक्रिया संहिता के समस्त प्रकरण उन प्रकरणों को छोड़कर जो कुटुंब न्यायालय इंदौर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।</p>
06.	सु.श्री सुरभि सिंह सुमन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्र. श्रेणी इंदौर, (महिला न्यायालय) ( तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड)	आवंटित आरक्षी केन्द्र .....  1. पंढरीनाथ	<p><b>नोट :-</b> पूर्व प्रसारित कार्यविभाजन पत्रक क्रमांक. 05 /2023 इंदौर दिनांक. 14.01.2023 में टंकण त्रृटिवंश लोप होने से जोड़ा जाकर पढ़ा जावे।</p> <p><b>1.</b> आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र व धारा 138 एन.आई. एकट के प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण, परिवाद पत्र को छोड़कर)</p> <p><b>2.</b> संबंधित आरक्षी केंद्र के म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र।</p> <p><b>3.</b> समय—समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
07.	श्री प्रत्युष चतुर्वेदी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर, (द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड)	पूर्व अनुसार यथावत।	<p><b>1.</b> पूर्व आंवटित कार्य के साथ—साथ इंदौर तहसील सीमा क्षेत्र के आबकारी वृत्त आंतरिक क्षेत्र क्रमांक—01 द्वारा प्रस्तुत होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) के अभियोग पत्र/परिवाद।</p>

#### तहसील न्यायालय डॉ० अम्बेडकरनगर जिला इंदौर,

क्र.	नाम	आवंटित आरक्षी केन्द्र	कार्य का विभाजन
01.	श्री अजयसिंह यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम तह0 डॉ. अम्बेडकरनगर (प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड)	आवंटित आरक्षी केन्द्र .....  1. किशनगंज	<p><b>1.</b> आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र व धारा 138 एन.आई. एकट के प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण, परिवाद पत्र को छोड़कर)</p> <p><b>2.</b> संबंधित आरक्षी केंद्र के म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र।</p>

			<p><b>3.</b> तहसील डाक्टर अंबेडकर नगर महू के आबकारी वृत्त महू “अ” की सीमा क्षेत्रों से उत्पन्न आबकारी अधिनियम के प्रकरण / परिवाद पत्र।</p> <p><b>4.</b> आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जन्म मृत्यु रजि.एकट 1969 की धारा 13(3) के आवेदन।</p> <p><b>5.</b> तहसील महू जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 तथा दुकान एवं स्थापना अधिनियम के समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p><b>6.</b> तहसील डॉ. अम्बेडकरनगर (महू) से संबंधित समस्त आरक्षी केन्द्र की सीमा क्षेत्र से उद्भूत वन्य प्राणीयों संरक्षण अधिनियम एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण, चाहे वे पुलिस अंतिम प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत हो या परिवाद के।</p> <p><b>7.</b> केंटोमेंट बोर्ड की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक परिवाद पत्र।</p>
02.	श्री रविशंकर दोहरे न्यायिक मजि.प्र.श्रेणी तह0 डॉ. अम्बेडकरनगर (तृतीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड)	<b>आवंटित आरक्षी केन्द्र</b> .....  <b>1.डॉ.अम्बेडकरनगर (महू)</b>	<p><b>1.</b> आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र व धारा 138 एन.आई. एकट के प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण, परिवाद पत्र को छोड़कर)</p> <p><b>2.</b> संबंधित आरक्षी केंद्र के म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र।</p> <p><b>3.</b> आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जन्म मृत्यु रजि.एकट 1969की धारा 13(3) के आवेदन।</p>
03.	श्री सुनीत अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह0 डॉ अम्बेडकरनगर इंदौर, पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड}	<b>आवंटित आरक्षी केन्द्र</b> .....  <b>1. बडगाँदा</b>	<p><b>1</b> आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, आवेदनपत्र व धारा 138 एन.आई. एकट के प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण, परिवाद पत्र को छोड़कर)</p> <p><b>2.</b> संबंधित आरक्षी केंद्र के म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र।</p> <p><b>3.</b> आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जन्म मृत्यु रजि.एकट 1969की धारा 13(3) के आवेदन।</p>

#### नोट :-

01. पूर्व प्रसारित कार्यविभाजन पत्रक क्रमांक. 05 / 2023 इंदौर दिनांक. 14.01.2023 प्रभावशील दिनांक. 16 जनवरी 2023 में श्रीमती पूजा अहिरवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर को टंकण त्रृटिवंश नवम् के स्थान पर दशम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पढ़ा जावे ।
02. धारा 164 द0प्र0स0 के अंतर्गत कथन प्रसारित अनुसूची क्रमांक.02 अनुसार लेखबद्ध किये जावेंगे । यदि संबंधित आरक्षी केन्द्र किसी प्रभारी को आवंटित किया गया है उक्त कारण से कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु असमर्थ है तब ऐसी दशा में कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु प्रभार द्वितीय, तृतीय एवं उपरोक्तानुसार धारा 164 दप्रस के तहत कथन लिपिबद्ध करने हेतु यदि तृतीय प्रभारी भी उपलब्ध नहीं है, तो आगे का प्रभार (**संबंधित आरक्षी केन्द्र के प्रभारी** न्यायालय को छोड़कर) अनुसूची क्र.01 प्रभार अनुसूची अनुसार महिला न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के समक्ष कथन अंकित कराये जा सकेंगे ।

#### संशोधन प्रभार अनुसूची क्रमांक. 01

क्र.	नाम न्यायिक मजिस्ट्रेट	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी
01.	श्री शशांक खरे	सु.श्री स्वाति कौशल	सु.श्री पूजा अहिरवार	श्री यश कुमार सिंह

**॥ न्यायालय सांवेर ॥**

**नोट क्रमांक 8—** महिलाओं से संबंधित अपराध जिनमे धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन अंकित किये जाने हैं, निम्नांकित मजिस्ट्रेटगण को दर्शित आरक्षी केन्द्र के अनुसार कथन लिये जाने हेतु कार्यभार सौपा जाता है :—

क्र.	आरक्षी केंद्र	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
01	आरक्षी केंद्र चंद्रावतीगंज एवं क्षिप्रा	श्री पंकज शर्मा	सुश्री अंकिता त्रिपाठी	सुश्री पारुल चौकसे
02	सांवेर	सुश्री ऋचा बठेजा	सुश्री तारा मार्को	सुश्री सुरभिसिंह सुमन

**नोट क्रमांक 9—** महिलाओं से संबंधित अपराधों को छोड़कर शेष अपराधों के संबंध में 164 दं.प्र.सं. के कथन अंकित किए जाने हेतु, निम्नांकित

मजिस्ट्रेटगण को दर्शित आरक्षी केन्द्र के अनुसार कथन लिये जाने हेतु कार्यभार सौपा जाता है :—

क्र.	आरक्षी केंद्र	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
01.	सांवेर	सुश्री दीक्षा दोहरे	श्री अरविन्द गुर्जर	श्री शशांक खरे
02.	चंद्रावतीगंज एवं क्षिप्रा	श्री पंकज शर्मा	श्री प्रत्यूष चतुर्वेदी	श्री अरविन्द गुर्जर

**शेष पूर्व प्रसारित कार्यविभाजन पत्रक अनुसार यथावत्**

**अनुमोदन**

{सुबोध कुमार जैन}  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
इंदौर, म0प्र0

(लोकेन्द्र सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
इंदौर, म0प्र0

## **प्रतिलिपि :-**

01. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय कार्यालय सांख्कीय अनुविभाग इंदौर की और सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
02. माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय संबंधित विशेष न्यायालय एन.डी.पी.एस.एकट की और सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
03. श्री.....संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर/समस्त तहसील मुख्यालय जिला इंदौर की और सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित ।
04. पुलिस मुख्यालय जिला इंदौर की और समस्त आरक्षी केन्द्र को सूचनार्थ हेतु प्रेषित ।
05. जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय इंदौर की और सूचनार्थ प्रेषित ।
06. लोक अभियोजन कार्यालय जिला इंदौर की और सूचनार्थ प्रेषित ।
07. समस्त आरक्षी केन्द्र जिला इंदौर/समस्त तहसील मुख्यालय इंदौर की और सूचनार्थ प्रेषित ।
08. डी.आर.आई/एन.सी.बी./सी.बी.एन इंचार्ज को सूचनार्थ प्रेषित ।
09. सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर अनुविभाग जिला इंदौर की और संबंधित को ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित ।

{लोकेन्द्र सिंह}  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
इंदौर, म0प्र0

## मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंदौर, म0प्र0

क्रमांक. 18 / 2023

इंदौर दिनांक.07.03.2023

### //विविध आदेश//

माह मार्च 2023 दिनांकित 07.03.2023 को होली (धूलेडी) का सार्वजनिक अवकाश निरस्त होने एवं उसके स्थान पर दिनांक. 08.03.2023 का सार्वजनिक अवकाश घोषित होने एवं उक्त दिवस में अधिकतम पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से प्रशासनिक कार्य एवं सुविधा की दृष्टि से **दिनांक. 07.03.2023** को अत्यावश्यक दाण्डिक कार्य संपादित किये जाने हेतु पृथक से वैकल्पिक व्यवस्था हेतु प्रभार आदेश प्रसारित किया जा रहा है।

**अतः दिनांक. 07.03.2023 दिवस मंगलवार हेतु उपरोक्त प्रभार अनुसुची अनुसार उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण द्वारा अपने न्यायालय के साथ-साथ निम्नांकित न्यायालय का अत्यावश्यक दाण्डिक कार्य संपादित किया जावेगा :-**

क्रं.	उपस्थित नाम न्यायिक मजिस्ट्रेट	अनुपस्थित न्यायालय का प्रभार 01.	अनुपस्थित न्यायालय का प्रभार 02.
01.	श्री यश कुमार सिंह	श्री फिरोज अख्तर	श्री प्रत्युष चतुर्वेदी
02.	श्री अरविंद गुर्जर	श्रीमती मीनाक्षी	सु.श्री पारूल चौकसे
03.	श्री शरद जोशी	सु.श्री पूजा अहिरवार	सु.श्री अंकिता त्रिपाठी
04.	श्री शशांक खरे	श्री दिलीप परमार	श्री सुरेश यादव
05.	श्री रावेन्द्र सोनी	सु.श्री स्वाति कौशल	श्री प्रीतम बंसल
06.	श्री परमानंद चौहान	सु.श्री तारा मार्को	श्रीमती शिखा लोकेश दूबे।
07.	जयश्री आर्ययान मेहरा	सु.श्री ऋचा बठेजा	सु.श्री सुरभि सिंह सुमन

### नोट :-

- उपरोक्त प्रभार सूची मात्र दिनांक 07.03.2023 हेतु प्रभावशील मानी जावेगी। उपरोक्त दिवस पश्चात् स्वतः समाप्त मानी जाकर कार्यविभाजन पत्रक अनुसुची क्रमांक.01 अनुसार प्रभार रहेगा।

{लोकेन्द्र सिंह}  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
इंदौर, म0प्र0

### प्रतिलिपि :-

- मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय कार्यालय सांख्यिकीय अनुविभाग इंदौर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर अनुविभाग इंदौर की ओर समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण / कर्मचारीगण को ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।

{लोकेन्द्र सिंह}  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
इंदौर, म0प्र0

## मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंदौर, म0प्र0

क्रमांक. 44 / 2023

इंदौर दिनांक. 17.04.2023

### // संशोधित कार्यविभाजन पत्रक //

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर म0प्र0 के आदेश क्रमांक. 283/Confld/2023 II-3-1/2003 Jabalpur, dated 31/03/2023 अनुसार जिला स्थापना इंदौर पर रिक्त न्यायालय/मजिस्ट्रेट की पदस्थापना होने एवं श्री अरविंद गुर्जर तात्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर का न्यायालय वर्तमान में रिक्त होने से पूर्व प्रसारित मूल कार्यविभाजन पत्रक क्रमांक. 50/2023 इंदौर, दिनांक. 14.06.2022 एवं पश्चात् संशोधित कार्यविभाजन पत्रक में प्रशासनिक कार्य एवं सुविधा की दृष्टि से **तत्कालिक व्यवस्था हेतु आगामी आदेश तक आंशिक संशोधन समाविष्ट कर निम्नानुसार अंतर्स्थापित किया जाता है जो कि तत्काल प्रभाव से प्रभावशील माना जावेगा :-**

क्रं.	नाम न्यायिक मजिस्ट्रेट	आवंटित आरक्षी केन्द्र	कार्य का विभाजन
01.	श्री दीपनारायण सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर, म0प्र0 (सप्तम, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड)	1. सेंदल कोतवाली 2. द्वारकापुरी	<p>1. आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, आवेदन व धारा 138 एन.आई. एकट के प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण, परिवाद पत्र, आवेदनपत्र को छोड़कर)</p> <p>2. संबंधित आरक्षी केंद्र के म.प्र. आबकारीअधिनियम के दांडिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र।</p> <p>3. आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जन्म मृत्यु रजि.एकट 1969की धारा 13(3) के आवेदन।</p> <p>{माननीय उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन अनुसार –इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र एवं राज्य शासन की और से प्रस्तुत होने वाले खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के तथा म.प्र. म्यूनिसिपल कार्पोरेशन एकट 1956 से उत्पन्न होने वाले एवं जनप्रतिनिधि/विधायक/सांसद एम.पी.एम.एल.ए. से संबंधित प्रकरणों/परिवाद को छोड़कर।}</p>
02.	श्री मोहित रघुवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट	1. मल्हारगंज 2. सदर बाजार	1. आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक

	<p>प्रथम श्रेणी इंदौर, म. प्र. (सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड)</p>		<p>प्रकरण, परिवाद पत्र, आवेदन व धारा 138 एन.आई. एक्ट के प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण, परिवाद पत्र, आवेदनपत्र को छोड़कर)</p> <p><b>2.</b> संबंधित आरक्षी केंद्र के म.प्र. आबकारीअधिनियम के दांडिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र।</p> <p><b>3.</b> आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जन्म मृत्यु रजि.एक्ट 1969की धारा 13(3) के आवेदन।</p> <p><b>4.</b> आरक्षी केन्द्र राउ से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के समस्त आपराधिक परिवाद पत्र।</p> <p><b>5.</b> आरक्षी केन्द्र राजेन्द्र नगर, तेजाजी नगर, द्वारकापुरी एवं राउ की सीमा क्षेत्र से उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद व आवेदन पत्र एवं उत्पन्न विभिन्न कार्यवाहियों, धारा 125 एवं 127 द०प्र०स० के समस्त प्रकरण उन प्रकरणों को छोड़कर जो कुटुंब न्यायालय इंदौर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।</p>
03.	<p>श्री वरुण चौहान (दशम व्यव.न्याया.कनिष्ठ खण्ड इंदौर,म.प्र.)</p>	<p><b>1. आर.पी.एफ</b> <b>2. जी.आर.पी.</b> <b>3. छोटी ग्वालटोली</b></p>	<p><b>1.</b> आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र। (महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण, परिवाद पत्र एवं 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p><b>2.</b> आवंटित आरक्षी केंद्र के म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र।</p> <p><b>3.</b> आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जन्म मृत्यु रजि.एक्ट 1969की धारा 13(3) के आवेदन।</p> <p><b>4.</b> माननीय उच्च न्यायालय (म.प्र.) जबलपुर की अधिसूचना अनुसार—आरक्षी केन्द्र आर.पी.एफ. एवं जी.आर.पी. के अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रकरण।</p>

## // रिक्त न्यायालय पदस्थापना प्रभार //

### प्रभार अनुसुची क्रमांक.01

क्रं.	नाम न्यायिक मजिस्ट्रेट	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
01.	श्रीमती दिव्या सिंह (नवम व्यव. न्याया. वरिष्ठ खण्ड इंदौर)	श्री दीपनारायण सिंह	श्रीमती रेखा तिवारी	श्रीमती मीनाक्षी शर्मा
02.	श्रीमती रेखा तिवारी (अष्टम व्यव.न्याया.कनिष्ठ खण्ड)	श्रीमती दिव्या सिंह	श्री मोहित रघुवंशी	श्री शरद जोशी
03.	श्री मोहित रघुवंशी (सोलहवें व्यव. न्याया.कनिष्ठ खण्ड)	श्रीमती रेखा तिवारी	श्रीमती दिव्या सिंह	श्रीमती शिखा लोकेश दूबे
04.	सु.श्री शालिनी भण्डारी (सत्रहवें व्यव.न्याया.कनिष्ठ खण्ड)	श्री मोहित रघुवंशी	श्री दीपनारायण सिंह	श्री यश कुमार सिंह

### नोट :-

- श्री दीपनारायण सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर का प्रभार आगामी आदेश तक श्री अरविंद गुर्जर तात्कालीन न्यायिक मजि.प्र.श्रेणी इंदौर, के पूर्व प्रसारित प्रभार अनुसार माना जावेगा ।
- श्री फिरोज अख्तर रेल्वे मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने से एवं मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर म0प्र0 की अधिसुचना अनुसार श्री वरुण चौहान न्यायिक मजि.प्र.श्रेणी इंदौर के विशेष रेल्वे मजि0 होने से, प्रभार आगामी आदेश तक श्री फिरोज अख्तर तात्कालीन न्यायिक मजि.प्र.श्रेणी रेल्वे मजि.इंदौर के पूर्व प्रसारित प्रभार अनुसार माना जावेगा ।
- अनुसुची क्रमांक. 02 अनुसार धारा 164 द0प्र0स0 के तहत कथन पद उत्तरवर्ती पीठासीन अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किये जावेंगे । कथन पीडिता से संबंधित होने पर प्रभार अनुसार पद उत्तरवर्ती पुरुष पीठासीन अधिकारी होने पर प्रभार आगे क्रमानुसार माना जाकर महिला पीठासीन अधिकारी द्वारा ही कथन अंकित किये जावेंगे ।
- मूल कार्यविभाजन पत्रक की पूर्व प्रसारित प्रभार अनुसुची क्रमांक.01 अनुसार पद उत्तरवर्ती पीठासीन अधिकारी का प्रभार आगामी आदेश तक माना जावेगा ।

**शेष पूर्व प्रसारित अनुसार यथावत ।**

{लोकेन्द्र सिंह}  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
इंदौर, म0प्र0

### प्रतिलिपि :-

- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सांख्कीय अनुविभाग की और ससम्मान सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
- संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री/ श्रीमती..... की और सूचनार्थ प्रेषित ।
- जिला लोक अभियोजन कार्यालय इंदौर की और सूचनार्थ प्रेषित ।
- सचिव अधिवक्ता संघ इंदौर की और सूचनार्थ प्रेषित ।
- संबंधित आरक्षी केन्द्र को सूचनार्थ प्रेषित ।
- सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर अनुविभाग इंदौर की और समस्त को ई—मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित ।

{लोकेन्द्र सिंह}  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
इंदौर, म0प्र0